

कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19.08.2020 को आयोजित जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC) की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति पंजी अलग से संघारित है ।

दिनांक 19.08.2020 को उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन” (NFSM-Pulse) योजना के गतिविधियों का वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रियान्वयन हेतु जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई ।

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा माननीय उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं बैठक प्रारंभ की गयी ।

प्रस्ताव सं०- 01- दलहन प्रत्यक्षण कार्यक्रम

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखंड का पत्रांक 677 दिनांक 08.07.2020 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) में कुल 102.03914 लाख राशि का वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत है ।

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनान्तर्गत 11 प्रखण्डों में कुल 260 हेक्टर रकवा में प्रत्यक्षण का कार्य किया गया है । प्रखण्डवार किये गये प्रत्यक्षण का लक्ष्य निम्न प्रकार है -

फसलवार प्रत्यक्षण का नाम	प्रखण्ड	लक्ष्य (हे०)
Cluster Demonstration (Sole) -		
Arhar	धालभूमगढ़	10
	बहरागोड़ा	20
	गुड़ाबांधा	20
Gram	—	—
Urad	पटमदा	15
	बोड़ाम	15
Moong	डुमरिया	05
lentil	—	—
कुल :		85
Cropping Sequence -		
Paddy- Check pea	डुमरिया	10
Paddy- Lentil	घाटशिला	10



Paddy- Summer Moong	चाकुलिया	5
Urad- Check pea	जमशेदपुर	10
Urad- Lentil	मुसाबनी	10
कुल :		45
Inter Cropping -		
Arhar + Maize	पोटका	30
	बहरागोड़ा	10
Arhar + Jwar	घाटशिला	10
	धालभूमगढ़	10
Arhar + Urad	घाटशिला	10
	चाकुलिया	10
कुल :		80
कुल दलहन प्रत्यक्षण क्षेत्र :		210

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से उपरोक्त प्रखण्डों में किए गए प्रत्यक्षण की स्वीकृति दी जा सकती है।

सर्वसम्मति से निर्णयोपरांत जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रखण्डों में किए गए प्रत्यक्षण के मद में व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव सं० – 02 कृषि यंत्र वितरण

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण करने का प्रावधान है जो निम्नवत् है –

क्र० सं०	कृषि यंत्र	अनुदान	इकाई (सं०)
1	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (केवल अ०जा०/अ०ज०जा०, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 8-12 लीटर	रु० 3,100 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	10
2	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए) 8-12 लीटर	रु० 2,500 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	12
3	मैनुअल स्प्रेयर (केवल अ०जा०/अ०ज०जा०, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए)	रु० 750 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	60
4	मैनुअल स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए)	रु० 600 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	90
5	रोटोवेटर (केवल अ०जा०/अ०ज०जा०, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 35 BHP से कम- 5 फीट	रु० 42,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1
6	रोटोवेटर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम- 5 फीट	रु० 34,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	2
7	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (केवल अ०जा०/अ०ज०जा०, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए)	रु० 1,00,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1

२

	के कृषकों के लिए) 35 BHP से कम/4 टन प्रति घंटा क्षमता		
8	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम/4 टन प्रति घंटा क्षमता	रु0 80,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	1
9	स्पीकलर सेट	रु0 21,901 प्रति इकाई / हे0	1
10	पम्प सेट	रु0 10,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	110
11	पाइप (जलस्रोत से पानी कृषि प्रक्षेत्र में ले जाने के लिए)	रु0 50/- प्रति इकाई HDPE पाइप रु0 35/- प्रति मीटर PVC पाइप और रु0 20/- मीटर HDPE कोटिंग की हुई। अधिकतम रु0 15,000/- का प्रति कृषक को देय या कृषक समूह/लाभुकों को देय	400 फीट
12	मोबाइल रेन गन	रु0 34,513 प्रति हे0	1

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा कृषि यंत्र मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, आत्मा ने स्वीकृत कृषि यंत्र की भौतिक संख्या कम होने के कारण राज्य मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड राँची से अतिरिक्त कृषि यंत्र माँग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा को दिया।

विचारोपरांत जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा कृषि यंत्र वितरण मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान गई।

सभा के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।